आरोग्यम् सुखसम्पदा

संख्याः ए.12012/2/2009-प्रशासन-2 (पार्ट फाइल)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067

दिनांकः 08.10.2021

कार्यालय ज्ञापन

निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 26.07.2012, 16.01.2013, 23.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्याः क्रमशः 14014/3/2011-स्थापना (डी), 14014/2/2012-स्थापना (डी), 43019/9/2019-स्थापना(डी) में दिए गए प्रावधानों और अनुकंपा आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के स्थापना 'डी' डिविजन के एफ ए क्यू 32 में दिए गए उत्तर के आधार पर, श्री दिनेश सिंह मेहरा पुत्र स्वर्गीय श्री जीत सिंह, पूर्व पशु परिचर को इस संस्थान में पे लेवल-1 (ग्रेड पे-1800) में ₹18,000/- प्रति माह मूलवेतन पर **(अनुकंपा आधार पर) बहुकार्यकारी कर्मचारी** पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया जाता है । पद पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार अनुज्ञेय तथा भत्तों संबंधी नियमों के अंतर्गत समय-समय पर दी गई शर्तों के आधार पर महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते ड्रा करने का भी हक होगा ।

2. नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होंगीः

i) यह एक नियमित पद है ।

ii) परिवीक्षा अवधि ज्वाइनिंग की तिथि से दो वर्ष होगी तथा इस अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन का आकलन किया जाएगा ।

iii) इस अस्थायी नियुक्ति अवधि के दौरान दोनों पक्षों अर्थात नियुक्त व्यक्ति अथवा नियोक्ता प्राधिकारी में से किसी भी एक पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकार इस नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है । किन्तु नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति को नोटिस की पूरी अवधि अथवा नोटिस की शेष अवधि के एवज में उसे वेतन तथा भत्तों के बराबर राशि भुगतान करके उसकी सेवायें तत्काल अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व उसकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा । किन्तु परिवीक्षाकाल में बिना कोई नोटिस दिये किसी भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।

iv) सेवा संबंधी अन्य शर्तें समय-समय पर प्रवृत्त सम्बद्ध नियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगी ।

3. इस नियुक्ति संबंधी अन्य शर्तें इस प्रकार होंगीः-

i) आवेदक द्वारा विहित फार्म में वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा की जाएगी । यदि आवेदक की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति से विवाहित हो जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति की शर्त के रूप में कानूनी छूट प्राप्त होनी आवश्यक है ।

ii) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

iii) संलग्न विहित फार्म में भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा व वफादारी की शपथ देनी होगी ।

iv) निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगेः-

(क) शैक्षिक योग्यताओं तथा आयु के संबंध में मैट्रिकुलेशन/ स्कूल छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र ।

(ख) संलग्न विहित फार्म में चरित्र प्रमाण-पत्र ।

(ग) जहां लागू हो आवेदक के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध होने के बारे में विहित फार्म में प्रमाण-पत्र ।

......2/-

4. यदि आवेदक द्वारा की गई कोई घोषणा अथवा प्रदान की गई सूचना गलत पाई गई अथवा यह पाया गया कि आवेदक ने कोई तथ्यपरक सूचना दबा ली है, तो ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से हटाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसके विरूद्ध यथोचित अन्य कार्यवाही की जा सकती है ।

5. यदि श्री दिनेश सिंह मेहरा को उपरोक्त शर्तों पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो वह कृपया 14.10.2021 तक अपनी स्वीकृति के बारे में अधोहस्ताक्षरी को सूचित कर दें, अन्यथा उक्त प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा । यदि आवेदक नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसे संस्थान से आगामी सूचना प्राप्त होने पर अपनी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए ।

6. स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने तथा/ अथवा नियुक्ति हेतु ज्वाइन करने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

संग्नकः यथोपरि ।

11/10/2021

(विजय प्रकाश उप्रेती)
अनुभाग अधिकारी(प्रशासन-2)

सेवा में,

श्री दिनेश सिंह मेहरा,
पुत्र स्वर्गीय श्री जीत सिंह, पूर्व पशु परिचर,
बी-41, स्टाफ क्वार्टर, रास्वापकसंस्थान परिसर,
नई दिल्ली ।
ई-मेलः dineshmehra008@gmail.com
मोबाइलः 9368813769

SPEED POST